राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 305/1991

बख्तावर सिंह

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री जसवन्त सिंह भाटी, न्याय मित्र
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री बी.आर. बिश्नोई, पीपी

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित

निर्णय

रिजर्व रखने की तारीख 09/05/2024

फैसला सुनाया गया 24/05/2024

प्रति माननीय मेहता, जे (मौखिक):

रिपोर्ट करने योग्य

1. धारा 374 सीआरपीसी के तहत यह आपराधिक अपील निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए पेश की गई है:

> "इसलिए आरोपी याचिकाकर्ता ने इस माननीय उच्च न्यायालय में यह अपील पेश की है और प्रार्थना करता है कि विद्वान ट्रायल जज के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को कृपया रद्द किया जाए और अपीलकर्ता को बरी किया जाए और उसे रिहा किया जाए।"

2. मामला वर्ष 1983 में हुई एक घटना से संबंधित है और वर्तमान अपील वर्ष 1991 से लंबित है।

3. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने सत्र प्रकरण 58/85 (राजस्थान राज्य बनाम बख्तावरसिंह) में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 10.09.1991 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी, जिसके तहत वर्तमान अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निम्नानुसार दिया गया है:

अपराध u/s	सजा	जुर्माना
302 आईपीसी	उम्र कैद	100/- रु., जिसका भुगतान न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

4. जैसा कि अभिवचनित तथ्यों और अभिलेख से पता चलता है, दिनांक 16.07.1983 को परिवादी-जेठू सिंह ने पुलिस स्टेशन, सरदारपुरा, जोधपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी-3) प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि दिनांक 16.07.1983 को दोपहर करीब 3:30 बजे, जब परिवादी-जेठू सिंह भास्कर सर्किल (चौराहा) पर खड़ा था, उस समय मनोहर सिंह नामक व्यक्ति परिवादी के पास आया और उसे बताया कि बख्तावर सिंह (अभियुक्त अपीलकर्ता), जो उस समय रेलवे सुरक्षा बल में सिपाही के पद पर कार्यरत था, ने परिवादी के भाई नारायण सिंह के सिर और गर्दन पर 4-5 बार फरसा से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप, मनोहर सिंह के अनुसार, नारायण सिंह के शरीर के अंगों से खून बह रहा था; लिखित जानकारी के अनुसार घटना के समय मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह और मनमोहन नामक व्यक्ति लोको गेट के ठीक सामने चाय पी रहे थे।

4.1 लिखित रिपोर्ट में आगे बताया गया कि यह देखकर जब संबंधित समय पर उक्त मनोहर सिंह अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता के भाई नारायण सिंह को बचाने के लिए दौड़े तो आरोपी-अपीलकर्ता फरसा के साथ लोको के अंदर भाग गया। मनोहर सिंह द्वारा इस प्रकार की सूचना दिए जाने पर शिकायतकर्ता तुरंत लोको रनिंग शेड की ओर दौड़ा, हालांकि, उस समय तक उसका भाई अस्पताल में भर्ती था, और इसलिए शिकायतकर्ता भी उक्त अस्पताल पहुंचा, और अपने भाई नारायण सिंह को अचेत अवस्था में देखा, जिसके सिर में चोट थी और खून बह रहा था।

4.2. उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 307 एवं 324 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया और उसके बाद जांच शुरू की गई। हालांकि, चूंकि उसी तारीख यानी 16.07.1983 को ही नारायण सिंह की चोटों के कारण मौत हो गई थी, इसलिए आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध भी जोड़ा गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302

आईपीसी के तहत अपराध के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद, उक्त सक्षम न्यायालय ने मामले को उपरोक्त कानून के प्रावधानों के तहत पंजीकृत और जांच किए जाने के कारण, मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट को सौंप दिया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप निर्धारित किया; उक्त आरोप अभियुक्त-अपीलकर्ता को पढ़कर सुनाए गए; अभियुक्त-अपीलकर्ता ने इन आरोपों से इनकार किया तथा उचित सुनवाई की मांग की, तथा तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई प्रारंभ हुई।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए तथा 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जबकि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने बचाव के समर्थन में 06 गवाह प्रस्तुत किए तथा 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए; तत्पश्चात अभियुक्त-अपीलकर्ता की धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की गई, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए निर्दोष होने तथा विचाराधीन आपराधिक मामले में अपने ऊपर झूठे आरोप लगाए जाने की दलील दी।

7. तत्पश्चात, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री एवं साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने, उपरोक्तानुसार, अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा दण्डित किया, तथा दिनांक 10.09.1991 को दण्डादेश दिया, जिसके विरूद्ध अभियुक्त अपीलकर्ता की ओर से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता-जेठू सिंह ने लिखित सूचना (एक्स.पी/3) प्रस्तुत की, जबकि मदन लाल (आर.पी.एफ. कार्मिक, जो लोको गेट पर अभियुक्त-अपीलकर्ता के साथ तैनात था) ने शिकायतकर्ता-जेठू सिंह द्वारा दर्ज कराई गई लिखित सूचना से पहले लिखित सूचना (एक्स.पी/9) प्रस्तुत की। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मदन लाल ने अपनी लिखित सूचना में कहा कि जब वह अभियुक्त-अपीलकर्ता के साथ लोको गेट पर तैनात था, मृतक वहां आया और अवैध रूप से उक्त गेट में प्रवेश किया, जिस पर अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसे रोका, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच लड़ाई हुई; बाद में मृतक एक हथियार के साथ आया और अभियुक्त-अपीलकर्ता पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त-अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं, और इसलिए, धारा 307, 353 और 332 आईपीसी के तहत प्राथमिकी

दर्ज की गई। इसके अलावा, मनोहर सिंह के खिलाफ धारा 307 सहपठित धारा 114 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जो मृतक के साथ घटनास्थल पर आया था।

8.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोको गेट पर ड्यूटी पर था, और इसलिए, वह एक लोक सेवक है, और इसलिए, उसे धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि कथित घटना के समय, वह मृतक से रेलवे संपत्ति की रक्षा कर रहा था, इस प्रकार वह धारा 300 आईपीसी के अपवाद 3 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, धारा 302 आईपीसी के तहत आरोपी अपीलकर्ता की दोषी ठहराई गई सजा कानून में उचित नहीं है।

8.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतक आदतन अपराधी था तथा उसके विरुद्ध अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं; वर्तमान मामले में मृतक ने अवैध रूप से रेलवे की संपत्ति में प्रवेश किया तथा आरोपी अपीलकर्ता के साथ झगड़ा किया।

8.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि डीडब्लू.3 तथा डीडब्लू.4 दोनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक हथियार (फरसा) के साथ लोको गेट पर आया तथा आरोपी-अपीलकर्ता पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को रोकने का प्रयास करते समय आरोपी-अपीलकर्ता के दाहिने हाथ के अंगूठे में गंभीर चोट आई।

8.4. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 के बयान प्रश्नगत घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी हैं। आगे यह भी कहा गया कि आरोपी मुकदमे के दौरान जमानत पर था और आरोपित निर्णय के तहत दोषसिद्धि के बाद उसकी सजा निलंबित कर दी गई और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, इसलिए कुल मिलाकर आरोपी की हिरासत अवधि 290 दिन है। आरोपी 67 वर्ष का व्यक्ति है और प्रश्नगत अपराध के समय उसकी आयु 26 वर्ष थी।

8.5. इस तरह के तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने राजकुमार आनंदीलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीआरएल.ए. संख्या 297/1999, दिनांक 01.09.2005 को निर्णीत) के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता की ओर से किए गए उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने मृतक को चोट पहुंचाई, उसके बाद मृतक पर बार-बार हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को कुल नौ चोटें आईं, जिनमें से चार चोटें सिर पर आईं, और इसलिए, आरोपी को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित निर्णय के तहत सही रूप से दोषी ठहराया गया।

9.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त अपीलकर्ता का खून मृतक के शरीर से बरामद कपड़ों से मेल खाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं अर्थात पी.डब्लू.1, पी.डब्लू.2 और पी.डब्लू.3 और उन सभी ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया।

9.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को लोको गेट पर ड्यूटी सौंपे जाने के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है; अभियुक्त का मृतक की मौत का कारण बनने का मकसद/इरादा था, और इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, जो कानून में उचित है।

9.3. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने जघन्य अपराध किया है तथा मृतक की नृशंस हत्या की है, अतः वह इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की राहत पाने का हकदार नहीं है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख तथा बार में उद्धृत निर्णय का अवलोकन किया गया।

11. यह न्यायालय यह मानता है कि वर्तमान मामले में गवाह पी.डब्लू.1- विक्रम सिंह, पी.डब्लू.2- ओम, पी.डब्लू.3- मनोहर सिंह, पी.डब्लू.7- राजेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.9- मनमोहन तथा पी.डब्लू.11- मदन लाल (आर.पी.एफ. तथा लोको गेट पर भी तैनात) हैं; पी.डब्लू.3 तथा पी.डब्लू.11 को मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियुक्त की ओर से चश्मदीद गवाह डी.डब्लू.3- धूल सिंह तथा डी.डब्लू.4- ईदन सिंह हैं।

12. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि कहानी के दो पक्ष हैं; सबसे पहले, अभियोजन पक्ष के अनुसार, पी.डब्लू. 1 ने कहा कि वह चाय की दुकान पर बैठा था, और उस समय, कर्मचारी ओम (ओमिया) आया और कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता और मृतक लड़ रहे थे, जिसके बाद वह दुकान से बाहर आया और देखा कि आरोपी-अपीलकर्ता मृतक को चोट पहुँचा रहा था, जो जमीन पर पड़ा था; इसके बाद, आरोपी लोको गेट के अंदर चला गया। उसने आगे कहा कि पूरी घटना लोको गेट के बाहर, टेलीफोन पोल के पास हुई थी, और इसी तरह की घटना पी.डब्लू. 2,

पी.डब्लू. 7 और पी.डब्लू. 9 द्वारा इस आशय की गवाही दी गई थी कि आरोपी ने मृतक को चोट पहुंचाई।

12.1. दूसरी बात, आरोपी के साथ लोको गेट पर तैनात पी.डब्लू.-11 ने मृतक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया कि मृतक और पी.डब्लू. 3 एक वाहन (विक्की) पर सवार होकर लोको गेट पर आए और आरोपी-अपीलकर्ता को टक्कर मारने की कोशिश की और लोको गेट में घुसने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी-अपीलकर्ता ने उन्हें रोक दिया; इसी बीच मृतक और पी.डब्लू. 3 ने पी.डब्लू. 11 के साथ झगड़ा किया; उसी दौरान आरोपी-अपीलकर्ता वहां आया और विवाद को सुलझाया। इसके बाद आरोपी-अपीलकर्ता गेट पर खड़ा रहा और पी.डब्लू. 11 ने पुलिस को घटना की सूचना दी। उस समय मृतक हथियार (धारिया) के साथ आया और आरोपी पर हमला कर दिया; परिणामस्वरूप आरोपी-अपीलकर्ता के दाहिने हाथ के अंगूठे पर गंभीर चोट आई; इसके बाद अन्य व्यक्ति अर्थात नैन सिंह, ऐदन सिंह और हरि शंकर आए और मृतक से हथियार छीन लिया, जिससे उसे चोट लग गई।

13. यह न्यायालय यह भी देखता है कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और विद्वान ट्रायल कोर्ट (केस संख्या 61/1985-राज्य बनाम मनोहर सिंह) के समक्ष एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें मनोहर सिंह को बरी कर दिया गया था। यह न्यायालय आगे देखता है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान आरोपी ने भी एक समान कहानी पेश की और डी.डब्लू-3 और डी.डब्लू.4 ने भी आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा कथन के उपरोक्त दूसरे भाग का समर्थन किया।

14. यह न्यायालय आगे देखता है कि मृतक का पोस्टमार्टम (एक्स.पी/14) पी.डब्लू.17-डॉ. एम.पी. जोशी द्वारा किया गया था और उन्होंने जांच के दौरान यह बयान दिया कि मृतक की मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई थी और कुल नौ चोटें दर्शाई गई थीं; जिरह के दौरान, गवाह ने बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता का मेडिकल भी उसके द्वारा कराया गया था, जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता के दाहिने हाथ के अंगूठे पर चार चोटें पाई गई थीं, और उक्त चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई थी।

15. यह न्यायालय यह भी मानता है कि मृतक द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को पहुंचाई गई गंभीर चोट पी.डब्लू.17-डॉ. एम.पी. जोशी के बयान के अनुसार साबित हुई थी और अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से दायर मामले में पी.डब्लू.3-मनोहर सिंह को बरी कर दिया गया था, क्योंकि उस मामले में मुख्य अभियुक्त, जिसने अभियुक्त-अपीलार्थी को चोट पहुंचाई थी, मृतक-नारायण सिंह था।

16. इस न्यायालय ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी डी.डब्लू.3 और डी.डब्लू.4 के बयानों का भी अवलोकन किया, जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी की कहानी का समर्थन किया, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया था और मृतक घटना स्थल पर आया और अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ झगड़ा करने लगा; इसके अलावा, मृतक ने अभियुक्त-अपीलार्थी के दाहिने हाथ के अंगूठे पर गंभीर चोट पहुंचाई।

17. इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रत्यक्षदर्शियों अर्थात् पी.डब्लू. 1 पी.डब्लू. 2, पी.डब्लू. 3, पी.डब्लू. 7 तथा पी.डब्लू. 9 के बयानों का आगे अध्ययन किया। पी.डब्लू. 1 तथा पी.डब्लू. 7 ने यह नहीं कहा है कि अभियुक्त अपीलकर्ता ने मृतक के साथ लड़ाई की थी तथा मृतक प्रासंगिक समय पर जमीन पर पड़ा था; यह बात मुकदमे में जिरह के दौरान स्वीकार की गई थी, तथा इसलिए अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा मृतक को चोट पहुंचाने का बयान मुकदमे के दौरान पहली बार उसके द्वारा दिया गया था। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि पी.डब्लू. 3 तथा पी.डब्लू. 11 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, तथा प्रश्नगत घटना से संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है।

18. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को लोको गेट पर विधिवत ड्यूटी सौंपी गई थी और डी.डब्लू. 5- खूबा राम (आरपीएफ-कमांडेंट) और डी.डब्लू. 6- बाबूलाल- कंपनी कमांडर-आरपीएफ द्वारा जांच के दौरान भी यही कहा गया था।

19. यह न्यायालय यह भी मानता है कि जब दोषसिद्धि के निर्णय को अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो विद्वान ट्रायल न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय की शक्ति सीआरपीसी की धारा 386 के तहत प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:-

> "**386. अपील न्यायालय की शक्तियाँ**-
>
> ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने तथा अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता को, यदि वह उपस्थित होता है, तथा लोक अभियोजक को, यदि वह उपस्थित होता है, सुनने के पश्चात, तथा धारा 377 या धारा 378 के अन्तर्गत अपील की स्थिति में, अभियुक्त को, यदि वह उपस्थित होता है, तो अपील न्यायालय, यदि वह समझता है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है, अथवा-

(क) किसी आदेश या दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में, ऐसे आदेश को उलट सकता है, तथा निर्देश दे सकता है कि आगे की जांच की जाए, अथवा अभियुक्त पर पुनः मुकदमा चलाया जाए या उसे, जैसा भी मामला हो, मुकदमे के लिए सौंपा जाए, अथवा उसे दोषी पाया जाए, तथा कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाई जाए;

(ख) दोषसिद्धि से अपील में-

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट देना और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर देना, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पुनः विचारण करने या विचारण के लिए सौंपने का आदेश देना, या

(ii) निष्कर्ष को बदलना, सजा को कायम रखना, या
(iii) निष्कर्ष को बदलने के साथ या बिना, सजा की प्रकृति या सीमा, या प्रकृति और सीमा को बदलना, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए नहीं-

(ग) सजा बढ़ाने की अपील में-

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट देना और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मुक्त कर देना या अपराध पर विचारण करने में सक्षम न्यायालय द्वारा उस पर पुनः विचारण करने का आदेश देना, या

(ii) सजा को बरकरार रखने वाले निष्कर्ष को बदलना, या

(iii) निष्कर्ष को बदले बिना या बदले बिना, सजा की प्रकृति या सीमा को बदलना, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके;
(घ) किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में, ऐसे आदेश को बदलना या उलट देना;

(ङ) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आनुषंगिक आदेश देना जो न्यायसंगत या उचित हो:

बशर्ते कि सजा में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न मिल जाए:

आगे यह भी प्रावधान है कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए अधिक सजा नहीं देगा जो उसकी राय में अभियुक्त ने किया है, उससे अधिक सजा जो अपील के तहत आदेश या सजा पारित करने वाले न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए दी जा सकती थी।"

19.1. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि धारा 386(बी)(आई) सीआरपीसी के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार अपीलीय न्यायालय के पास दोषसिद्धि के निष्कर्षों को पलटने का अधिकार है, ताकि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सके।

20. अब, जहां तक विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले में हस्तक्षेप के दायरे का सवाल है, कमलेश प्रभुदास तन्ना बनाम गुजरात राज्य, (2013) 15 एससीसी 263 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के प्रासंगिक हिस्से को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझा जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

"9. इस मोड़ पर, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि यद्यपि यह कहना कठिन हो सकता है कि निर्णय में कोई कारण नहीं है, फिर भी यह कहना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि दिए गए कारण वास्तव में कारणों के लिए क्षमा याचना हैं। यदि हम स्वयं को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ ऐसे कारण बता सकता है जो कारण प्रतीत होते हैं लेकिन लिटमस टेस्ट निर्णय को बनाए रखने या पलटने के लिए उचित और उपयुक्त कारण देना है। तर्क का तंतु तार्किक रूप से अपेक्षित विश्लेषण से प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से, उक्त अभ्यास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, हम पदम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2000) 1 एससीसी 621: 2000 एससीसी (क्रि) 285] के निर्णय का लाभ के साथ उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य से निपटते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है: (एससीसी पृष्ठ 625, पैरा 2)

"2. ... अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करे और स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या उक्त साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं और यदि उस पर भरोसा किया

भी जा सकता है, तो क्या अभियोजन पक्ष को उक्त साक्ष्य पर संदेह से परे साबित किया जा सकता है। किसी गवाह की विश्वसनीयता का फैसला अपीलीय न्यायालय द्वारा सिद्ध और स्वीकृत तथ्यों से निष्कर्ष निकालने के बाद किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि अपीलीय न्यायालय को, ट्रायल कोर्ट की तरह, सकारात्मक रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक सत्य है और अभियुक्त का अपराध सभी संदेह से परे साबित हो गया है क्योंकि निर्दोषता की धारणा जिसके साथ अभियुक्त शुरू होता है, तब तक जारी रहती है जब तक कि उसे अंतिम अपील न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है और यह धारणा न तो दोषमुक्त होने से मजबूत होती है और न ही ट्रायल कोर्ट में दोषसिद्धि से कमजोर होती है।" (जोर दिया गया)

10. रामा बनाम राजस्थान राज्य [(2002) 4 एससीसी 571: 2002 एससीसी (क्रि) 829] में न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित शब्दों में कहा है: (एससीसी पृष्ठ 572, पैरा 4)

"4. ... यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक अपील में, अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का कर्तव्य सौंपा गया है और वह केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर अपील का निपटान नहीं कर सकता है, खासकर तब जब अपील को पहले ही स्वीकार कर लिया गया हो और अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया हो। ऐसी प्रक्रिया को बनाए रखना अभियुक्त के अपील के मूल्यवान अधिकार का हनन होगा, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती।"

11. इकबाल अब्दुल सामिया मालेक बनाम गुजरात राज्य [(2012) 11 एस.सी.सी. 312: (2013) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 636] में, पदम सिंह [(2000) 1 एस.सी.सी. 621: 2000 एस.सी.सी. (क्रि.) 285] और बानी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1996) 4 एस.सी.सी. 720: 1996 एस.सी.सी. (क्रि.) 848] में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते

हुए, इस न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य से संबंधित सिद्धांत को दोहराया है।

12. हाल ही में, मज्जल बनाम हरियाणा राज्य [(2013) 6 एस.सी.सी. 798] में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 800, पैरा 7)

"7. उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना आवश्यक था कि क्या साक्ष्य के बारे में निचली अदालत का आकलन और अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने की उसकी राय की पुष्टि की जानी चाहिए। यह अभ्यास इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोषसिद्धि के कारण अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगती है। उच्च न्यायालय को अपने कारण बताने चाहिए कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को क्यों स्वीकार कर रहा है। निचली अदालत के दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय की सहमति तभी स्वीकार्य होगी जब वह कारणों से समर्थित हो। ऐसी अपीलों में यह प्रथम अपील न्यायालय है। कारण गूढ़ नहीं हो सकते। इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि उच्च न्यायालय से अनावश्यक रूप से लंबा निबंध लिखने की अपेक्षा की जाती है। निर्णय छोटा हो सकता है लेकिन उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य और महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों पर उचित विचार-विमर्श होना चाहिए जो मामले की जड़ तक जाते हैं।"

21. यह न्यायालय यह भी मानता है कि वर्तमान मामले में कहानी के दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों के पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं; अभियोजन पक्ष की ओर से, पी.डब्लू. 1 पी.डब्लू. 2, पी.डब्लू. 3, पी.डब्लू. 7 और पी.डब्लू. 9 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, जबकि पी.डब्लू. 3 और पी.डब्लू. 11 को पक्षद्रोही घोषित किया गया; अभियुक्त की ओर से, प्रत्यक्षदर्शी गवाह डी.डब्लू. 3 और डी.डब्लू. 4 हैं और पी.डब्लू. 3 ने भी अभियुक्त के कथन का समर्थन किया।

22. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभियुक्त रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकारी ड्यूटी पर तैनात था और अभियुक्त की कहानी साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जब अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटों को गंभीर प्रकृति का माना जाता है और पी.डब्लू. 17-डॉ एम.पी. जोशी के बयान से यह विधिवत साबित होता है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है और साथ ही यह भी साबित नहीं कर पाया है कि विचाराधीन अपराध आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा किया गया है।

23. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभिलेखों में विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को दोषसिद्धि से बरी करने के लिए उलट दिया जाना चाहिए, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 386(बी)(आई) के तहत प्रदान किया गया है "निष्कर्ष और सजा को उलट दें और बरी करें"।

24. यह न्यायालय मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1103 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से अवगत है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:-

> "74. अगर कोई हमसे यह सवाल पूछे कि "इस फैसले का अनुपात क्या है?" इसका जवाब बहुत ही सरल और सीधा होगा, क्लेरेंस डारो के शब्दों में;
>
> > "न्याय का न्यायालय में क्या चल रहा है, इससे कोई लेना-देना नहीं है; न्याय वह है जो न्यायालय से निकलता है।"

25. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, साथ ही साथ पूर्वोक्त पूर्ववर्ती कानूनों के मद्देनजर, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सत्र प्रकरण 58/85 (राजस्थान राज्य बनाम बख्तावरसिंह) में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 1, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.09.1991 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित निर्णय को रद्द और अपास्त करते हुए, अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता को तत्काल अपील में इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 26.10.1999 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। उसके जमानत बांड को समाप्त कर दिया गया है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

26. यह न्यायालय श्री जसवंत सिंह भाटी का आभारी है, जिन्होंने वर्तमान निर्णय में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की ओर से एमिकस क्यूरी के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया है।

(योगेन्द्र कुमार पुरोहित),जे **(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।